न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 12/2022 **दायर दिनांकः 03/03/2022**

उनवान

1. राजू बाई आयु 46 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द जाति मेघवाल निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां हाल बटावदा तहसील व जिला बारां राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :–

प्रार्थीः–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 29/06/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 229 का ख0नं0 246/1532 का रकबा 0.15 है0, ख0 नं0 247 का रकबा 1.37 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.52 है0 आराजी तथा वाके ग्राम एवं माल दिवाली पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 177 का ख0नं0 603 का रकबा 2.91 है0, ख0 नं0 626/1145 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 627 का रकबा 0.71 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.77 है0 प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दीयां साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों ने सहवन से प्रार्थिया का नाम राजू बाई के स्थान पर राजन बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक, ग्राम पंचायत खुरी के प्रमाण में सही नाम राजू बाई दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम राजन बाई के स्थान पर सही नाम राजू बाई दर्ज किया जावे। बिना

सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम राजन बाई के स्थान पर सही नाम राजू बाई दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थिया को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पडेगा जिसके फलस्वरूप प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा, अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम राजन बाई के स्थान पर सही नाम राजू बाई दर्ज किया जावे। अनय कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम राजन बाई के स्थान पर सही नाम राजू बाई दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 राजू बाई पुत्री कस्तूरचन्द जाति मेघवाल निवासी खुरी का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी राजू बाई ने बताया कि ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 229 का ख0नं0 246/1532 का रकबा 0.15 है0, ख0 नं0 247 का रकबा 1.37 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.52 है0 आराजी तथा वाके ग्राम एवं माल दिवाली पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 177 का ख0नं0 603 का रकबा 2.91 है0, ख0 नं0 626/1145 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 627 का रकबा 0.71 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.77 है0 मेरे एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। उक्त आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों ने सहवन से मेरा नाम राजू बाई के स्थान पर राजन बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि मेरे दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र जन आधार कार्ड पेन कार्ड बैंक पास बुक, ग्राम पंचायत खुरी के प्रमाण पत्र में सही नाम राजू बाई दर्ज है। इसलिए उक्त आराजी में मेरा नाम राजन बाई के स्थान पर सही नाम राजू बाई दर्ज किया जावे।

pw 2 मेघराज पुत्र कस्तूरचन्द जाति मेघवाल निवासी खुरी का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी मेघराज ने बताया कि ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 229 का ख0नं0 246/1532 का रकबा 0.15 है0, ख0 नं0 247 का रकबा 1.37 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.52 है0 आराजी तथा वाके ग्राम एवं माल दिवाली पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 177 का ख0नं0 603 का रकबा 2.91 है0, ख0 नं0 626/1145 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 627 का रकबा 0.71 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.77 है0 मेरे एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। उक्त आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों ने सहवन से मेरी बहिन का नाम राजू बाई के स्थान पर राजन बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि उसके दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र जन आधार कार्ड पेन कार्ड बैंक पास बुक, ग्राम पंचायत खुरी के प्रमाण पत्र में सही नाम राजू बाई दर्ज है। इसलिए उक्त आराजी में मेरी बहिन का नाम राजन बाई के स्थान पर सही नाम राजू बाई दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

3. अभिभाषक प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम राजन बाई के स्थान पर सही नाम राजू बाई दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

4. बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खुरी की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2074—2077 के खाता संख्या 229 किता 2 रकबा 1.52 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम शामलाती खाते में राजनबाई पुत्री कस्तुरा दर्ज है। ग्राम दिवाली के खाता संख्या 177 की किता 3 रकबा 3.77 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम सहखातेदार के रूप में राजन पुत्री कस्तुरचन्द दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, यूको बैंक की डायरी, आयकर विभाग का पेन कार्ड, राशन कार्ड में राजू बाई अंकित है।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 229 का ख0नं0 246/1532 का रकबा 0.15 है0, ख0 नं0 247 का रकबा 1.37 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.52 है0 आराजी में सहखातेदार राजनबाई पुत्री कस्तुरा के स्थान पर राजू बाई पुत्री कस्तुरा तथा ग्राम एवं माल दिवाली तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 177 का ख0नं0 603 का रकबा 2.91 है0, ख0 नं0 626/1145 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 627 का रकबा 0.71 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.77 है0 में सहखातेदार राजन पुत्री कस्तुरचन्द के स्थान पर राजू बाई पुत्री कस्तुरचन्द राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां